

झारखण्ड लोक सेवा आयोग

सर्कुलर रोड, रांची – 834001

विज्ञापन

आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि :— 04–07–2016

विज्ञापन संख्या :— 04 / 2016

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अधीन निदेशक तकनीकी शिक्षा निदेशालय के एकल पद पर नियमित नियुक्त हेतु इच्छुक भारतीय अर्हताधारियों से निम्न प्रकार विहित शर्तों एवं निर्देशों के अनुरूप आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जाते हैं :—

1. पद का नाम :— निदेशक
2. रिक्तियों का विवरण :— 01 (एक)
3. वेतनमान :— 37,400–67,000 (i) Grade Pay with AGP-10000 & 3000 Spl. Allowance
4. परीक्ष्यमान अवधि :— 02 वर्ष
5. उम्र गणना की तिथि :— चयन हेतु उम्मीदवारों के उम्र की गणना की तिथि 01.08.2015 होगी। सभी कोटियों के लिए न्यूनतम आयु 50 वर्ष एवं अधिकतम उम्र सीमा 55 वर्ष होगी।
6. पात्रता :— उपर्युक्त पद के लिए राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय के प्राध्यापक/राजकीय पोलिटेक्निक के प्राचार्य/राजकीय प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय में कार्यरत प्राध्यापक/अर्द्धसरकारी/उद्योग/केन्द्र सरकार एवं झारखण्ड सरकार के उपक्रम के प्राध्यापक स्तर के कर्मी आवेदन भरने के लिए पात्र होंगे।
7. **REQUIRED QUALIFICATION AND EXPERIENCE**

(A) QUALIFICATION	(B) EXPERIENCE
Ph.D Degree (with first class Degree at Bachelors or Master's Level) in Engineering/Technology. In addition the candidate should be an eminent person in the Field.	15 Years experience in Teaching/Industry/Research out of which 05 years must be at the level of Professor/Principal, or above in Engineering/Technology.

- (2) REQUIRED MINIMUM QUALIFICATION & EXPERIENCE FOR THE CANDIDATE BELONGING TO SEMI GOVT./INDUSTRY/GOVT. UNDERTAKING OF JHARKHAND STATE GOVT./CENTRAL GOVT.

Candidate from Industry/Profession with master Degree in Engineering/Technology and with Professional work which is significant and can be recognized as equivalent to Ph.D Degree and with 15 years experience of which at least 5 years should be at a senior level comparable to that of a professor/Principal would also be eligible desirable-Administrative experience in a responsible position.

टिप्पणी :-

- I. पी0एच0डी0 की समकक्षता 5 अंतर्राष्ट्रीय जनरल पत्रों के प्रकाशन पर आधारित है, जिसमें प्रत्येक जनरल का संचयी प्रभावी सूचकांक 2.0 से कम नहीं होना चाहिए, तथा पदधारक मुख्य लेखक के रूप में होना चाहिए और सभी 5 प्रकाशन लेखक की विशेषज्ञता के क्षेत्र से जुड़े होने चाहिए।
- II. पी0एच0डी0 एक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से होनी चाहिए।
- III. यदि कोई वर्ग/श्रेणी नहीं दी गई है, योग के न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों को प्रथम/वर्ग/श्रेणी के समकक्ष विचार किया जाएगा। यदि ग्रेड प्वाइंट सिस्टम अपनाया गया है तो सीजीपीए को निम्नानुसार समकक्ष अंकों में संपरिवर्तित किया जाएगा :—

ग्रेड प्वाइंट	समकक्ष प्रतिशत
6.25	55%
6.75	60%
7.25	65%
7.75	70%
8.25	75%

7. चयन का स्वरूप :— आयोग नियुक्ति हेतु चयन की प्रक्रिया "झारखण्ड लोक सेवा आयोग के Rules of Procedure 2002" के अधीन करने के लिए स्वतंत्र होगा।

8. (i) कदाचार (**Misconduct**) एवं इसके दुष्परिणामः—

Candidates are warned that they should not furnish any particulars that are false or suppress any material information in filling up the application form. Candidates are also warned that they should in no case correct or alter or otherwise temper with any entry in a document or its attested/certified copy submitted by them nor should they submit a tampered/fabricated document. If there is any inaccuracy or any discrepancy between two or more such documents or their attested/certified copies, an explanation regarding this discrepancy should be submitted. A candidate who is or has been declared to be guilty of :

- (a) Obtaining support of his/her candidature by any means, or
- (b) Impersonating, or
- (c) Procuring impersonation by any person, or
- (d) Submitting fabricated documents or documents which have been tampered with, or
- (e) Making statements which are incorrect or false or suppressing material information, or
- (f) Resorting to any other irregular or improper means in connection with his/her candidature for the selection, or
- (g) Using unfair means during the test, or
- (h) Writing irrelevant matter including obscene language or pornographic matter, sketch, in the script (s), or
- (i) Misbehaving in any other manner in the examination hall, or
- (j) Harassing or doing bodily harm to the staff employed for the conduct of their test, or
- (k) Bringing mobile phone/communication device in the examination Hall/interview room.
- (l) attempting to commit or, as the case may be, abetting the Commission of all or any of the acts specified in the forgoing clauses may, in addition to rendering himself/herself liable to criminal prosecution be liable:
 - (i) to be disqualified from selection, for which he/she is a candidate, and/or
 - (ii) to be debarred either permanently or for a specified period:-
 - (iii) Canvassing in any form will disqualify a candidate.

(ii) कदाचार के लिए कार्यवाही :-

ऊपर वर्णित कदाचार के मामलों में दोषी पाये गए अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता किसी भी stage में समाप्त की जा सकेगी। जिसका निर्णय आयोग द्वारा किया जायेगा।

(iii) पूर्व के कदाचार का प्रभाव:-

वैसे अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होने के हकदार नहीं होंगे, जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग अथवा किसी राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा कदाचार या अन्य किसी मामले में परीक्षा से वंचित कर देने का आदेश पारित किया गया है। उम्मीदवारों के परीक्षा में बैठने की पात्रता या अपात्रता के बिन्दु पर आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

आवेदन पत्र भरने हेतु आवश्यक निर्देश

9. प्रविष्टि :

- (i) आवेदन निर्धारित प्रपत्र में ऐ-4 आकार (210 X 297 मिमी.) के मोटे कागज पर आयोग के वेबसाइट—www.jpsc.gov.in से डाउनलोड कर व्यवहार में लायें। आवेदन प्रपत्र चार पृष्ठों में ही कागज के दोनों पार होना चाहिए। निर्धारित प्रपत्र से अलग मुद्रित, टंकित, हस्तालिखित आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
- (ii) आवेदन पत्र की सभी प्रविष्टियों नीले/काले बॉल प्वाइंट पेन से स्वहस्तलिपि में साफ-साफ अंकित करें। चूंकि आवेदन कम्प्यूटरीकृत प्रणाली द्वारा प्रोसेस किया जाना है अतः यह अनिवार्य है कि आवेदन निर्धारित प्रपत्र में ही हो; उचित एवं पूर्ण रूप से भरा हो और उसमें कोई संशोधन/परिवर्तन/ओवरराइटिंग नहीं हो। आवेदन भरने हेतु अंग्रेजी के अंतर्राष्ट्रीय अंकों का ही प्रयोग करें।
- (iii) आवेदन—पत्र में रिक्त आयतों का समुचित तरीके से इस प्रकार भरें जैसे :—

(i) आवेदन में देवनागरी लिपि में नाम, यथा; सचिन कुमार। इस प्रकार भरा जाय —

स	चि	न		कु	मा	र		
---	----	---	--	----	----	---	--	--

(ii) हिन्दी अथवा अंग्रेजी में एक शब्द के बाद एक ब्लॉक रिक्त रखें यथा —AMAR KUMAR RAM को बॉक्स में इस तरह लिखेंगे एवं तदनुसार ही ब्लॉक को भरेंगे :—

A	M	A	R		K	U	M	A	R		R	A	M	
---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	--	---	---	---	--

(iii) आवेदक यदि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटि के हैं तो 1 भरें अन्यथा 2 भरें।

(iv) आवेदक सभी स्तम्भ (कॉलम) के आयतों को भरें। अपूर्ण अथवा अनुचित तरीके से भरे गये आयतों को अधूरी/अपूर्ण सूचना समझी जायेगी एवं आवेदन अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

(v) जो स्तम्भ (कॉलम) आवेदक से संबंधित न हो अथवा उसपर लागू न हो, उसे क्रॉस (X) कर दें।

(vi) आवेदक “शैक्षणिक योग्यता” के अधीन ‘प्राप्तांक/पूर्णांक एवं प्रतिशत के स्तम्भों में अतिरिक्त विषय के अंक एवं प्रतिशत को नहीं जोड़ें।

(vii) आवेदक अपनी शारीरिक पहचान का एक विशिष्ट चिह्न अवश्य अंकित करें जो दूसरों से उनकी पहचान पृथक कर सकें।

(viii) यदि कोई सूचना विज्ञापन में वांछित हो तक ही भरें। अन्यथा उस क्रॉस (X) कर दें।

10. फोटोग्राफ :-

आवेदक अपना पासपोर्ट साईज रंगीन फोटो चिपकाने हेतु निर्धारित खाली जगह में अंकित निर्देशों का अक्षरशः पालन करें। फोटो स्टेपल न करें या सेलोटेप से न साटें। गोंद से अच्छी तरह चिपकाएँ। दोनों फोटो एक ही तरह का हाल का खीचां हुआ होना चाहिए। पुराना एवं अस्पष्ट फोटो आवेदन—अस्वीकृति का कारण हो सकता है। फोटो इस प्रकार स्वअभिप्रमाणित किया जाय कि हस्ताक्षर का आधा भाग आवेदन पर एवं शेष आधा भाग फोटो पर रहे।

11. लिफाफा एवं प्रमाण पत्र :-

- (i) विहित आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की स्वच्छ एवं स्पष्ट (Visible) स्वअभिप्राणित प्रतियां अनुलग्नक के रूप में क्रमवार अवश्य संलग्न करें :—
 - 1) आयु संबंधी मैट्रिक का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र,
 - 2) स्नातक डिग्री प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र,
 - 3) स्नातकोत्तर डिग्री प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र,
 - 4) पी0एच0डी0 प्रमाण पत्र।
- (ii) 16 x 10 सेमी का स्वपता लिखित दो लिफाफा (अनुक्रमांक तथा प्रदेश पत्र निर्गत करने हेतु), जिनपर 40-40 रुपये का डाक टिकट सटा हो, विहित आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें।
- (iii) जिस लिफाफे में आवेदन पत्र भेज रहे हैं, उस लिफाफा के ऊपर विज्ञापन सं एवं पदनाम जिसके लिए आपने आवेदन किया है, अनिवार्य रूप से अंकित करें।

13. परीक्षा शुल्क :-

- (i) उम्मीदवारों को परीक्षा शुल्क के रूप में 600 (छह सौ) + बैंक चार्ज 50 (पचास) रुपया देय होगा। झारखण्ड राज्य के आरक्षित कोटि के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को 150 (एक सौ पचास) रुपये मात्र + बैंक चार्ज 50 (पचास) रुपये चालान के माध्यम से आयोग के खाता संख्या—35231063548 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी शाखा में जमा किया जा सकता है। उक्त चालान का प्रपत्र आयोग के वेबसाईट www.jpsc.gov.in से डाउनलोड कर व्यवहार में लाया जा सकता है। चालान की एक मुल प्रति (JPSC's Copy) आवेदन पत्र के साथ निश्चित रूप से संलग्न करें तथा तीसरी प्रति (Depositor's Copy) अपने पास सुरक्षित रखें।
- (ii) झारखण्ड राज्य के स्थायी निवासी को परीक्षा शुल्क में छूट हेतु न्यूनतम अनुमंडल पदाधिकारी से निर्गत जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा।
- (iii) विकलांग (कम से कम 40 प्रतिशत संगत निःशक्तता) आवेदकों के लिए परीक्षा शुल्क देय नहीं है। इसके लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत विकलांगता प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा।

14. अन्य :-

- (i) अपूर्ण, अहस्ताक्षरित तथा विलम्ब से प्राप्त आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिये जायेंगे तथा शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।
- (ii) चयन प्रक्रिया बिना कारण बताये किसी भी समय स्थगित या रद्द करने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा।
- (iii) आवेदन पत्र किसी भी परिस्थिति में अस्वीकृत होने पर शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।
- (iv) अभ्यर्थियों का परीक्षा शुल्क आयोग को विहित माध्यम से प्राप्त नहीं होने की स्थिति में आवेदन रद्द किया जा सकता है।
- (v) आवेदक द्वारा अपने आवेदन में दी गई सूचनाओं एवं किसी भी स्तर पर जाँच के क्रम में कोई गलत सूचना या तथ्य छिपाने का प्रमाण मिलता है, तो आयोग ऐसे आवेदकों की अभ्यर्थिता रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा।
- (vi) साक्षात्कार के समय आवेदन में दिए गए प्रविष्टि (Entry) के अनुरूप सभी प्रमाणपत्रों की संबंधित मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

15. अंतिम तिथि :—

- (i) भरा हुआ आवेदन पत्र केवल निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट/हाथों-हाथ इस प्रकार भेंजे कि दिनांक—**17.06.2016** से दिनांक—**04.07.2016** को अपराह्न 5:00 बजे तक परीक्षा नियंत्रक, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, सर्कुलर रोड, राँची—834001 को अवश्य प्राप्त हो जाए।
- (ii) यदि डाक सेवा में विलम्ब के कारण किसी अभ्यर्थी का आवेदन पत्र आयोग कार्यालय में निर्धारित अन्तिम तिथि के बाद प्राप्त होगा, तो वैसे आवेदन को अस्वीकृत कर दिया जायेगा इसके लिए आयोग कर्तई जिम्मेदार नहीं होगा।

सचिव,
झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची।